फा.सं. 3/3/2018-DIPAM-II VOL.III
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

ब्लॉक संख्या 11 एवं 14, सीजीओ कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांक 22 अप्रैल, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईएस)/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूस)/अन्य सरकारी संगठनों की परिसंपत्तियों तथा शत्रु अचल संपत्तियों के मुद्रीकरण हेतु क्रियाविधि और तंत्र का निर्धारण - अंतर-मंत्रालय दल (आईएमजी) के गठन के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि मंत्रिमंडल ने दिनांक 28.02.2019 को आयोजित अपनी बैठक में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईएस)/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूस)/अन्य सरकारी संगठनों की परिसंपत्तियों तथा शत्रु अचल संपत्तियों के मुद्रीकरण हेतु क्रियाविधि और तंत्र के निर्धारण के संबंध में इस विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

2. अंतर-मंत्रालय दल (आईएमजी) परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम के समग्र कार्यान्वयन के लिए बहु-स्तरीय संस्थागत तंत्र के एक भाग के रूप में मुख्य निर्णयकर्ता निकायों में से एक है।

3. तदनुसार, अंतर-मंत्रालय दल (आईएमजी) का गठन किया गया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) सचिव, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग - सह-अध्यक्ष
(ii) सचिव, प्रशासनिक विभाग - सह-अध्यक्ष
(iii) आर्थिक कार्य विभाग के सचिव या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम का न हो
(iv) व्यय विभाग के सचिव या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम का न हो
(v) लोक उद्यम विभाग के सचिव या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम का न हो
(vi) विधि कार्य विभाग के सचिव या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम का न हो
(vii) कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम का न हो
(viii) वित्तीय सलाहकार, (दीपम)
(ix) वित्तीय सलाहकार, (प्रशासनिक विभाग)
(x) संबंधित सीपीएसई के मुख्य प्रबन्ध निदेशक
(xi) संबंधित सीपीएसई के निदेशक (वित्त)
(xii) संयुक्त सचिव, दीपम - संयोजक

4. अंतर-मंत्रालय दल को परिसंपत्ति मुद्रीकरण के संबंध में निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :

(i) मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित समग्र संस्थागत ढांचे में किसी अनुवर्ती परिवर्तन की सीजीएएम को सिफारिश करना।
(ii) हिस्सेदारों के साथ परामर्श करके की कुछ परिसंपत्तियों के चयन की वैकल्पिक तंत्र को सिफारिश करना।
(iii) सीईपीआई/एमएचए द्वारा किए गए प्रस्ताव की जांच करना और मुद्रीकरण के लिए अचल संपत्ति के चयन हेतु वैकल्पिक तंत्र को सिफारिश करना।
(iv) यदि आईएमजी को यह लगे कि किसी विशिष्ट परिसंपत्ति के मामले में सीजीएएम का हस्तक्षेप अपेक्षित है, तो आईएमजी ऐसे मामलों को सीजीएएम को संदर्भित कर सकता है। ऐसे मामलों में, वैकल्पिक तंत्र सीजीएएम की सिफारिशों के आधार पर मुद्रीकृत की जाने वाली परिसंपत्तियों को अनुमोदित करेगा।

(v) व्याख्या और सौदा प्रक्रिया में परिवर्तन पर विचार करना।

(vi) सीजीएएम को परिसंपत्तियों के मूल्य और/या किसी अन्य मानदंड के आधार पर एक मानक निर्धारित करने की सिफारिश करना जिससे इस तंत्र के माध्यम से मुद्रीकृत की जाने वाली परिसंपत्तियों का निर्धारण होगा।

(vii) परिसंपत्ति मुद्रीकरण हेतु विस्तृत प्रक्रिया तय करने के लिए सीजीएएम को सिफारिश करना।

(viii) मध्यस्थों का चयन, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- दीपम के तकनीकी सलाहकार/विशेषज्ञ जो परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम में समन्वय स्थापित करने में आईएमजी की मदद करेंगे;
- चयनित सीपीएसईस के प्रशासनिक मंत्रालय/सीईपीआई के लिए परामर्शदाता/तकनीकी सलाहकार, यदि अपेक्षित हो;
- पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से सौदा सलाहकार, विधि सलाहकार और परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता।
- विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी), एशियाई विकास बैंक (एडीबी), अन्य अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ निकायों आदि जैसे बहुपक्षीय संस्थानों से सलाह लेना/साझेदारी करना।

वित्तमंत्री उपर्युक्त मध्यस्थों की नियुक्ति का अनुमोदन करेंगे।

(ix) उन सीपीएसईस के प्रस्तावों की जांच करना और छूट प्रदान करना जो परिसंपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके।

(x) विचाराधीन परिसंपत्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपयुक्त मॉडल की वैकल्पिक तंत्र को सिफारिश करना। आईएमजी को दीपम के तकनीकी परामर्शदाता द्वारा सौदे के उपयुक्त मॉडल, प्रशासनिक मंत्रालय/सीपीएसई के प्रस्तावों, नीति आयोग की सिफारिशों आदि के बारे में सूचना/सलाह दी जाएगी। प्रशासनिक मंत्रालय और सीपीएसई के साथ समुचित परामर्श सुनिश्चित किया जाएगा। सभी मॉडलों पर आईएमजी का अधिकार होगा और वह नए मॉडल सृजित करने का प्रयास करेगा।

(xi) सीपीएसईस की परिसंपत्तियों/शत्रु अचल संपत्ति के संबंध में मॉडल अनुबंध दस्तावेजों, बोली और अनुबंध आमंत्रित करने हेतु सभी प्रक्रिया दस्तावेजों के लिए वैकल्पिक तंत्र को सिफारिश करना।

5. दीपम, सीजीएएम के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

6. उपरोक्त के आधार पर, मामला-दर-मामला आधार पर सचिव (दीपम) के अनुमोदन के साथ विशिष्ट आईएमजी का गठन किया जाएगा।

7. इसे वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

जगदीश कुमार

(जगदीश कुमार)
उप निदेशक
टेली. नं. 011-24368036

सेवा में

1. श्री सुभाष चन्द्र गर्ग, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. श्री गिरीश चन्द्र मुर्मु, सचिव, व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. श्रीमती सीमा बहुगुणा, सचिव, लोक उद्यम विभाग, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली।
4. श्री आलोक श्रीवास्तव, सचिव, विधिक कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. श्रीमती इंजैती श्रीनिवास, सचिव, निगमित कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. श्रीमती मीरा स्वरूप, वित्त सलाहकार, दीपम।

प्रतिलिपि : सचिव (दीपम) के प्रधान निजी सचिव।